

## खण्ड-XV

### सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

(सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख)(xv) के अंतर्गत)

राज्य सूचना आयोग से संबंधित सूचनाएं आयोग में तथा आयोग की वेबसाइट [www.siccg.gov.in](http://www.siccg.gov.in) के माध्यम से उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इस वेबसाइट में आयोग के शिकायत एवं अपील प्रकरणों से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय भी देखे जा सकते हैं।